ग्राम पंचायत दरगेला, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025

भाग—एक

1. **प्रस्तावना**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत दरगेला, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 के लेखों का अंकेक्षण हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत दरगेला में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :—

प्रधान :—

1	श्रीमती भारती	01.04.2024 से 31.03.2025

सचिव :—.

1	श्री संजय कुमार	01.04.2024 से 31.03.2025

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :—

ग्राम पंचायत दरगेला के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:—

क्र0सं0	पैरा संख्या	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	5	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना ।	12.64
2	6	पंचायत राजस्व का वसूली हेतू शेष पाया जाना ।	0.24

3	7	विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करवाना ।	0.03
4	8	निर्माण कार्य हेतु क्रय सामग्री के उचित लेखांकन के फलस्वरूप अपेक्षाकृत अनियमित भुगतान करना ।	0.07
5	9	प्रिया सॉट तथा मैनुअल संधारित लेखों में अन्तर बारे	3.18

(ग) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :–

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सत्यापना की गई, जिन पैरों पर की गई कार्यवाही संतोषजनक पाई गई, उनका अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया। वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त अनिर्णीत पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :–

1. अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016

क्र0सं0	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत ।
1	10 से 12	अनिर्णीत ।

2. अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.2020 से 31.03.2022

क्र0सं0	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत ।
1	5.1, 5.2	अनिर्णीत ।
2	6	अनिर्णीत।
3	10	अनिर्णीत।
4	11	अनिर्णीत।

3. अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023

क्र0सं0	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत ।
1	3	निर्णीत, अंकेक्षण शुल्क राशि ₹4000 की प्राप्ति की पुष्टि अंकेक्षण शुल्क मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर पेज 67 से पुष्टि करने उपरान्त

2	4.1 (ग)	अनिर्णीत ।
3	4.1 (घ)	अनिर्णीत।
5	5	अनिर्णीत ।
6	6.1	निर्णीत, नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित करने के दृष्टिगत।
7	7.1	निर्णीत, नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित करने के दृष्टिगत
8	7.2	अनिर्णीत ।
9	7.3	अनिर्णीत ।
10	8.1	निर्णीत, प्रस्तुत उत्तर के आधार पर पैरे का समायोजन कर दिया गया है ।
11	8.2	अनिर्णीत ।
12	8.3	अनिर्णीत ।
13	8.4	निर्णीत, (₹3600/– की वसूली रसीद संख्या 099951 व 099952 दिनांक 20.09.2024 द्वारा करके खाता सख्या 20040016683 दिनांक 20.09.2024 को बैंक में जमा करवा दी गई है। अतः पुष्टि उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया है ।
14	8.5	निर्णीत, (₹1900/– की वसूली रसीद संख्या 099953 दिनांक 21.09.2024 द्वारा करके खाता सख्या 4193000100031015 दिनांक 21.09.2024 को बैंक में जमा करवा दी गई है। अतः पुष्टि उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया है
15	9	अनिर्णीत ।
16	10	अनिर्णीत ।
17	11	अनिर्णीत ।
18	12	अनिर्णीत ।

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत दरगेला, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 तक के लेखों का अंकेक्षण श्री मन मोहन शर्मा, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 28.04.2025 से 03.05.2025 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखों की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया :–

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2024–2025	07/2024	05/2024

अस्वीकरण (Disclaimer):- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा ।

3. अंकेक्षण शुल्क :–

ग्राम पंचायत दरगेला, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹ 4,000/– बनता है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि0प्र0, राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 124 दिनांक 03.05.2025 द्वारा अनुरोध किया गया ।

4. वित्तीय स्थिति :–

ग्राम पंचायत दरगेला, विकास खण्ड रैत द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :–

(1) **स्वः स्त्रोत** :– ग्राम पंचायत दरगेला के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक के स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2024-25	57407	163905	44750	266062	257315	8747

(2) **अनुदान** : ग्राम पंचायत दरगेला के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया है :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2024-25	1408369.06	5606561	47902.24	7062832.3	5798906	1263926.3

बैंक समाधान विवरणी :–

Own Source, 5th SFC,VKVNY, 15th FC, MPLAD,MMGPY,SDP,SDRF,RGSA.

A/c No. 20040016683	**KCCB Rait**	Own Source, SDP, NRHM, VKVNY, MMGPY	**152953**
A/c No. 50055721299	**KCCB Rait**	5th State	**205780**
A/c No. 50076465241	**KCCB Rait**	VKVNY	**44610**
A/c No. 50100359907346	**HDFC Draman**	15th FC	**745300.3**
A/C No. 50076465194	**KCCB Rait**	MMGPY	**62386**
A/c No. 50076465218	**KCCB Rait**	SDP, SDRF	**61042**
cash in hand			**602**
		Total	**1272673.3**
Cash Book Balance on 31.03.2024 (Own Source)			**8747**
Cash Book Balance on 31.03.2024		5 SFC	**205780**
Cash Book Balance on 31.03.2024		VKVNY	**47690**
Cash Book Balance on 31.03.2024		15TH FC	**745300.3**
Cash Book Balance on 31.03.2024		GRDY	**4564**
Cash Book Balance on 31.03.2024		MMGPY	**62396**
Cash Book Balance on 31.03.2024		SDP	**171828**
Cash Book Balance on 31.03.2024		MPLAD	**14368**
Cash Book Balance on 31.03.2024		RGSA	**12000**
			0
		Total	**1272673.3**
		diffrence	**0**

5. अनुदान राशि ₹12.64 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशि को फडिंग एजैन्सी की आवश्यकताओं और दिशा निर्देशों के अनुसार खर्च किया जाना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–1)** के अनुसार दिनांक 31.03.2025 तक अनुदान ₹ 12,63,926.00 की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अर्न्तगत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

उक्त शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए वस्तुस्थिति अनुसार उक्त राशि को नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

6. पंचायत राजस्व ₹0.24 लाख का वसूली हेतू शेष पाया जाना:–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 34(2) के अनुसार ग्राम पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय (Outstanding) नहीं रखी जायेगी तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता है तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव को फार्म 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का माँग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख पूर्ण रूप से तैयार नहीं किये गये थे जिस कारणवश सम्पत्ति कर से प्राप्त राशि, माँग की गई राशि एवं दिनांक 31.03.2025 को बकाया राशि की सत्यता की पूर्ण जाँच नहीं की जा सकी । पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं प्रस्तुत अभिलेखानुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में अंकेक्षणावधि के दौरान ₹ 25/– **परिशिष्ट–2** के अनुसार प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से गृहकर आरोपित किया गया था । दिनांक 31.03.2025

को निम्न विवरणानुसार पंचायत का कुल राजस्व सम्पति कर ₹ 23,500/– वसूली हेतु शेष था :–

सम्पति कर :–

वर्ष	**अथशेष (₹)**	**गृहकर की माँग (₹)**	**योग (₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**वसूली हेतू शेष राशि (₹)**
2024–25	74625	25375	100000	76500	23500

उपरोक्त तालिका, तथ्यों एवं आंकडों से स्पष्ट है कि अंकेक्षण अवधि के दौरान सम्पति कर/गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं नियमित कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है। यदि पंचायत राजस्व की बकाया राशि इसी तरह बकाया रहती रही तो एक समय पर इसे संग्रहित करना असम्भव हो जायेगा ।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 126 दिनांक 03.05.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 01 दिनांक 24.05.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख तैयार कर लिये गये हैं तथा बकाया राशि ₹ 23,500/– शीघ्र ही वसूल कर ली जायेगी ।

अतः पूर्व उल्लेखित प्रावधानों के दृष्टिगत पंचायत राजस्व की इतनी अधिक राशि के परादेय होने के कारणों से अवगत करवाते हुये अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें ।

7 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि ₹ 0.03 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे :–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हि0प्र0 शिमला की अधिसूचना संख्या SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के प्रावधानानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या 0070–60–108–01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2024–25 के दौरान निम्नविवारणनुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹ **2,875/–** प्राप्त की गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था :–

क्र0सं0	**वित्तीय वर्ष**	**विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त राशि (₹)**
1	2024–25	2875.00

विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 127 दिनांक 03.05.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 01 दिनांक 24.05.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा करवाने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति, नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

8. सामग्री के उचित लेखांकन के अभाव के कारण पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु ₹0.07 लाख के अधिक भुगतान बारे।

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, संपरीक्षा, कराधान एवं भत्ते) नियम 2002 के नियम 76 के अनुसार सम्बद्ध पंचायत सचिव किसी भी अति संदाय/अधिक भुगतान की शीघ्र वसूली करने हेतु उत्तरदायी होगा।

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाओं की जॉच करने पर पाया कि निम्न विवरणानुसार माप पुस्तिकाओं में गलत गणना के परिणामस्वरूप निर्माण सामग्री का निष्पादन क्रय की गई निर्माण सामग्री से कम हुआ था जिसके कारण विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए पंचायत द्वारा राशि का अधिक भुगतान किया गया था व बची हुई सामग्री को भी स्टॉक रजिस्टर में नहीं लिया गया था, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जायेः

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	माप पुस्तिका संख्या / पेज संख्या	मद नाम	निष्पादित दर्शाई गई मात्रा	वास्तव में निष्पादित मात्रा	सीमेंट की खपत	क्रय की गयी सामग्री की मात्रा	अंतर	दर (₹)	राशि (₹)
1	निर्माण जीप योग्य सड़क पलवाला से घर तक वर्ड न० 8	28847 पृष्ट संख्या 83-84	P/L c.c 1:2:4	30.20 cubm	29.41 cubm	29.41 x 6.40 = 189 Begs	193 Begs	4 Begs	400	1600
2	निर्माण जीप योग्य सड़क S.T बस्ती से सफेदे के पेड़ तक	46710 पृष्ट संख्या 14-15	P/L c.c 1:2:4	22.22 cubm	21.88 cubm	21.88 x 6.40 = 140 Begs	143 Begs	3 Begs	400	1200
3	निर्माण कुहल कुशल कुमार के टप्प से चैन राम के घर तक वर्ड न० 8	46710 पृष्ट संख्या 23-25	P/L c.c 1:2:4	41.28 cubm	40.28 cubm	40.28 x 4.40 = 178 Begs	184 Begs	6 Begs	400	2400
			P/L c.c 1:2:4	41.28 cubm	40.28 cubm	40.28 x 0.89 x35.31 = 1265 cft (Aggeregate)	1300 cft	35	47	1645
									Total	6845

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 128 दिनांक 03.05.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 01 दिनांक 24.05.2025 द्वारा सूचित किया कि इस विषय पर कार्यवाही करने उपरान्त वास्तविक स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः इस वित्तीय अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये उपरोक्त अनियमित भुगतान को नियमानुसार पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा लेखांकन सम्बन्धी त्रुटि के फलस्वरूप अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

9. प्रिया सॉफट तथा मैनुअल संधारित लेखों में ₹ 3.18 लाख की राशि के अन्तर बारेः—

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में मिशन प्रोजैक्ट प्रारम्भ की गई तथा जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि0प्र0 कर रहा है। इस योजना के कियान्वयन के साथ—साथ हि0प्र0 पंचायती राज नियम (सामान्य) 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज रहित प्रणाली के अन्तर्गत ई—पंचायत में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्पष्ट दिशा—निर्देशों के उपरान्त भी पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण मैनुअल व प्रिया सॉफटवेयर दोनों माध्यमों से किया जा रहा है तथा जो खाते प्रिया सॉफटवेयर में बनाये जा रहे है उनका मैनुअल रोकड़ बही व बैक खातों से मिलान न होने के कारण ₹ 3,18,033.00 की राशि का निम्नविवरणानुसार अन्तर पाया गयाः—

31.03.2025 को प्रिया साफॅटवेयर में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	₹	1590707.06
31.03.2025 को मैनुअल में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	₹	1272673.30
अन्तर	₹	318033.76

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 130 दिनांक 03.05.2025 द्वारा इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 01 दिनांक 24.05.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि प्रियासॉफट तथा मैनुअल लेखों को ठीक करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः अन्तर के तथ्यपूर्ण कारणों को स्पष्ट करते हुये वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

10. निर्माण कार्यो से सम्बन्धित अभिलेख स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राकल्लन, माप पुस्तिका व उपयोगिता प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे ।

हि0प0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, माप पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है। अंकेक्षण के दौरान पाया कि निम्न विवरणानुसार करवाये गये विकास/निर्माण कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश प्राक्कलन व उपयोगिता प्रमाण इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके अभाव में किये गये कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर पर व्यय, खपत आदि की प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी, जोकि लेखा परीक्षा के प्रति न सिर्फ उदासीनता को परिलक्षित करता है अपितु निर्माण कार्यों में हुए व्यय को भी सन्देहजनक बनाता है जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 129 दिनांक 03.05.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 01 दिनांक 24.05.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उक्त कार्य प्रगति पर हैं अतः सम्बन्धित अभिलेख से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा । प्रस्तुत प्रतिउत्तर नियम प्रावधानों के अनुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण सन्तोषजनक नहीं है। अतः अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण को उपलब्ध न करवाने बारे तथ्यों सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वांछित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण को सत्यापन हेतु प्रस्तुत किए जाएं।

1	नि0 कूहल कुशल कुमार के टप्प से चैना राम के टप्प तक वार्ड नं0 5 मनरेगा
2	नि0 कूहल अनिरूद्ध शर्मा के टप्प से हरि सिंह धीमान की जमीन तक वार्ड नं0 5 मनरेगा
3	नि0 नाली आरा मशीन से धनी राम के घर तक वार्ड नं0 5 मनरेगा
4	नि0 भूसंरक्षण कार्य अजमेर सिंह की जमीन में वाड नं0 4 मनरेगा
5	नि0 भूसंरक्षण कार्य मिलखी राम की जमीन में वाड नं0 1 मनरेगा
6	नि0 भूसंरक्षण कार्य भूमि सिंह की जमीन में वाड नं0 1 मनरेगा
7	नि0 भूसंरक्षण कार्य शुभकरण की जमीन में वाड नं0 3 मनरेगा
8	नि0 भूसंरक्षण कार्य बिहारी लाल की जमीन में वाड नं0 3 मनरेगा
9	नि0 भूसंरक्षण कार्य जोगिन्द्र सिंह की जमीन में वाड नं0 6 मनरेगा
10	नि0 जीप योग्य सड़क मुख्य सडक से पंडित बस्ती तक वार्ड नं05

11	नि0 जीप योग्य सड़क निर्मल सिंह के घर से कश्मीर सिंह के घर तक वार्ड नं0 9
12	नि0 सुरक्षा दिवार सामुदायिक भवन के पास वार्ड नं0 6
13	नि0 सुरक्षा दिवार नाले से शिव मन्दिर तक वार्ड नं0 6

11. विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31, 72 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, लेखांकन प्रक्रिया के अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण होने के चलते किसी भी स्तर पर धन सामग्री के रिसन एवं दुरूपयोग की सम्भावना से अंकेक्षण में इन्कार नहीं किया जा सकता है, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये :–

क्र0सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर	4	13(5)
2	विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997	7	34
3	वर्गीकृत सार	8	29 (4)
4	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
5	प्रकीर्ण मॉग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77(4)
6	बजट प्राकल्लन	11, 12	37, 38
7	बिल रजिस्टर	13	48
8	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1)(ग)
9	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर		101(2) (V)

12. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये ।

13. **लघु आपित्त विवरणिका** :— इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी–छोटी आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया ।

14. **निष्कर्ष** :— लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

09 JUL 2025

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

4298 – 4302

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)66 / 2016–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत दरगेला, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

09 JUL 2025

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

परिशिष्ट–1

अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा सख्या 4 के सन्दर्भ में

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Dargela" for the year ended 2024-25

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
2	5 SFC	181790	498922	5342	686054	480274	205780
3	VKVNY	578293	376157	9464	963914	916224	47690
5	15TH FC	537027.3	1656357	26182	2219566.3	1474266	745300.3
6	ICDS	4564	0	0	4564	0	4564
7	MMGPY	19211	70000	1138	90349	27953	62396
9	SDP	66952	423500	5658	496110	324282	171828
10	RAY	222	0	3	225	225	0
11	SDRF	6978	225744	0	232722	218354	14368
14	NRHM	13331.76	0	115.24	13447	1447	12000
16	MNREGA	0	2355881	0	2355881	2355881	0
	Total Rs.	1408369.06	5606561	47902.24	7062832.3	5798906	1263926.3

Balance as per Bank on 31.03.2024

1 Own Source, 5TH SFC,VKVNY, 15th FC, MPLAD,MMGPY,SDP,SDRF,RGSA.

A/c No. 20040016683	KCCB Rait	Own Source, SDP, NRHM, VKVNY, MMGPY	152953
A/c No. 50055721299	KCCB Rait	5th State	205780
A/c No. 50076465241	KCCB Rait	VKVNY	44610
A/c No. 50100359907346	HDFC Draman	15th FC	745300.3
A/C No. 50076465194	KCCB Rait	MMGPY	62386
A/c No. 50076465218	KCCB Rait	SDP, SDRF	61042
A/c No 50055666178	KCCB Rait	SDRF	
A/c No 50100358468650	KCCB Rait	RGSA	
A/c No 50055666021	KCCB Rait	SBM	
cash in hand			602
		Total	1272673.3

Cash Book Balance on 31.03.2024 (Own Source)		8747
Cash Book Balance on 31.03.2024	5 SFC	205780
Cash Book Balance on 31.03.2024	VKVNY	47690
Cash Book Balance on 31.03.2024	15TH FC	745300.3
Cash Book Balance on 31.03.2024	GRDY	4564
Cash Book Balance on 31.03.2024	MMGPY	62396
Cash Book Balance on 31.03.2024	SDP	171828
Cash Book Balance on 31.03.2024	RAY	0
Cash Book Balance on 31.03.2024	MPLAD	14368
Cash Book Balance on 31.03.2024	RGSA	12000
		0
	Total	1272673.3
	diffrence	0

हस्ताक्षर

दिनाक

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Durgella
Dev Block Rait Kangra (H P)

Financial Position of Own sources in r/o GP Dargela

Years	Op.Balance	Receipt	Instt.	Total	Expenditure	Closing Balance
2024-25	57407	163905	44750	266062	257315	8747

ग्राम पंचायत दरगेला विकास खण्ड रैत

हस्ताक्षर

दिनांक

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Durgela
Dev Block Rait Kangra (H P)

15

परिशिष्ट-2
(ऑडिट प्रतिवेदन के पैरा संख्या 7(१) के सन्दर्भ में)

List of outstanding Property tax for the period of 2024-25 in r/o				GP Dargela	
Distt.Kangra,H.P.					
Years	Op.Balance	Demand during the year	Total	Collection during the year	Closing Balance
2024-2025	74625	25375	100000	76500	23500
	No. of family 1015 Rate 25/- per annum				

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Durgella
Dev Block Rait Kangra H P

ग्राम पंचायत दरगेला
विकास खण्ड रैत

हस्ताक्षर........
दिनांक..........